राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक चि.प्र./पीपीपी/पीएचसी /2017/ 551 दिनांक 28/8/17

आदेश

याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6161/2017 के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2017 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के माध्यम से निदेशालय को प्राप्त हुआ।

एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6161/2017 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में याचिकाकर्ता सरजीत प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर, शकुन्तला चौधरी पुत्री श्री चतुर्भुज चौधरी, सीताराम हरिजन पुत्र श्री कालुराम हरिजन, लक्ष्मी सैनी पुत्री श्री रामदेव सैनी, सोनू वर्मा पत्नी श्री रामदयाल शर्मा, मन्जु चौधरी पुत्री श्री बैरानाथ ..., ... सैनी पुत्री श्री घनश्याम सैनी, सुरज देवी शर्मा पत्नी श्री श्याम सुन्दर शर्मा, ... पत्नी श्री रामदेव गुर्जर एवं लोकेश सेन पुत्री श्री बाबुलाल सेन द्वारा याचिका दायर की गई, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.04.2017 को निम्नानुसार आदेश दिया गया।

"In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expenditiously as possible in accordance with law. However, in no case letter than two months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order."

उक्त आदेश के संबंध में सरजीत, शोभा सैनी, लक्ष्मी सैनी, मादुल देवी एवं लोकेश सेन के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को अभ्यावेदन दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन में यह दिया गया है कि हम सभी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा पी.एच.सी. गनैती एवं सम्बद्ध उपकेन्द्र जिला–टोंक पर नियुक्त हुए है, जो कि निरंतर ... से नियमित एवं संतोषपर्द कार्य एवं सेवायें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के आदेश क्रमांक 1399 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा ... प्लेसमेंट एजेंसी का अनुबंध पत्र निरस्त करने का पत्र प्राप्त होने पर हम सभी ने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में रिट पिटिशन संख्या 6161/2017 पेश की गई। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.04.2017 को हम सभी को हमारे कार्य से न हटाकर हमारी सेवा नियमित जारी करने के आदेश प्रदान किया है।

...docx

उक्त अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 27.04.2017 का अध्ययन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गनैती (टोंक) को अनुबंध/एमओयू दिनांक 16.05.2016 के द्वारा डॉ0 एस.पी.सुदारनिया सेवाप्रदाता को निजी जनसहभागिता में संचालन हेतु दिया गया था। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर याचिकाकर्ताओं/कार्मिकों को सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त किया गया था। सेवाप्रदाता से किये गये अनुबन्ध के आर.एफ.पी के बिन्दु संख्या 4 के उपबिन्दु 17 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त कार्मिकों को राजकीय सेवा मे समायोजित/नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।"

याचीगणों का विभाग के साथ प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं किया जाने के कारण एवं विभाग द्वारा डॉ0 एस.पी.सुदारनिया के साथ अनुबंध "कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण" समाप्त होने से याचीगणों के प्रति कोई दायित्व नहीं है। सेवाप्रदाता के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद उक्त पी.एच.सी में पूर्व की भांति विभाग के नियमित कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाकर पी.एच.सी के कार्य को करवाया जा रहा है। उक्त पी.एच.सी पर याचीगणों के स्थान पर अन्य संविदा कर्मियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दायर सिविल रिट पिटिशन में याचिकाकर्ताओं द्वारा तथ्य को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है कि उक्त कार्मिक न तो राज्य सरकार द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी से नहीं लगाया गया तथा उक्त पी.एच.सी को पीपीपी मोड पर संचालित करने वाले सेवाप्रदाता डॉ0एस0पी0सुदारनिया द्वारा लगाया गया था। संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवाप्रदाता द्वारा लगाये कार्मिकों के प्रति राज्य सरकार का सेवा में सम्मिलित करने का दायित्व नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में याचीगणों के अभ्यावेदन का अस्वीकार किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 14.8.17

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक चि.प्र./पीपीपी/पीएचसी /2017/ 541
दिनांक 28.8.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
4. संबधित याचिकाकर्ता........................।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 14.8.17

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

.docx